न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 27 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2025 / 39

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट**

नानूराम पुत्र बलदेव, जाति मेघवाल, निवासी गांगवा, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।

1. जन सम्पर्क अभियान, तहसीलदार परबतसर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, गांगवा।
3. अनिता देवी पत्नी नेमीचन्द जाति ब्राहम्ण।
4. कुनणी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण।
5. परसाराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल।
   समस्त निवासीगण गांगवा, तहसील परबतसर।
6. प्रमोद कुमार पुत्र रतनलाल, जाति मेघवाल, निवासी कुचामन सिटी।
7. युनूस खां पुत्र हुसैन खान, जाति कायमखानी, निवासी परबतसर।
8. सरजू पुत्री बलदेव, जाति मेघवाल, निवासी गांगवा, तहसील परबतसर।

<u>अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 487 दिनांक 04.01.1983 जन सम्पर्क अभियाजन तहसीलदार परबतसर वाके सरहद गांगवा के साबिक खसरा नम्बर 629, 629 / 1 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 860, 861</u>

उपस्थितः–
1. श्री हरफुल राव वकील अपीलान्ट की ओर से।

–ःनिर्णयः–

दिनांक : 16.07.2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. स्व. जवानाराम निवासी गांगवा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान के विधिक वारिसान गांगवा के स्थायी मूल निवासी हैं जहां पर इनकी चल व अचल सम्पति अवस्थित है। अपीलार्थी के पूर्वजों की वंश वंशावली निम्न प्रकार हैः–

जवान[illegible]

बलदे[illegible] | अमराराम

नारायण | बुद्धाराम | [illegible]नूराम | सरजू | हनुमान | [illegible]ष

हुक्मा | परमा | नाऔलाद फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

1. हमारी पैतृक सम्पति खसरा नम्बर 629, 629/1, 608, 628, 627 जो हमारे अन्य भाईयों के बीच में मौखिक बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। मगर खसरा नमबर 629, 629/1 में प्रार्थी के पिताजी बलदेव के तीन पुत्र क्रमशः नारायणराम, बुद्धाराम व नानूराम होते हुए भी दिनांक 04.01.1983 को जन सम्पर्क अभियान तहसीलदार परबतसर कैम्प गांगवा में नारायण पुत्र बलदेव ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 629 में से 07 बीघा 15 बिस्वा भूमि कदीमी से ही मेरे कब्जे काश्त में है, जिसकी खातेदारी मुझे दी जाने की कृपा करे। तहसीलदार परबतसर ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उसी वक्त पटवारी से रिपोर्ट करवाकर बयान लेकर विधि विरूद्ध खसरा नमबर 629, 629/1 की खातेदारी केवल मात्र नारायण पुत्र बलदेव कौम मेघवंशी के नाम नामान्तरण संख्या 487 दिनांक 04.01.1983 को खातेदारी में अमल दरामद कर दिया।
2. उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से अपीलार्थी की ओर से श्रीमान् के समक्ष उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध निम्न आधारों पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है कि:–

–: अपील के आधार :–

1. जन सम्पर्क अभियान तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 487 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. जन सम्पर्क अभियान तहसीलदार परबतसर ने नामान्तरण दर्ज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, तहसीलदार का पारित नामान्तरण संख्या 487 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।
3. जन सम्पर्क अभियान तहसीलदार परबतसरका नामान्तरण संख्या 487 न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. जन सम्पर्क अभियान तहसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तरण भरते समय विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं की एवं कानूनी के विपरीत कार्य करते हुए उत्तराधिकारी अधिनियम का उल्लंधन करते हुए नामान्तरण दर्ज किया हैं। स्व. जवानाराम का देहान्त हो चुका हैं उनके विधिक वारिसान बलदेव राम व अमराराम के नामान्तरण [illegible] गये, बलदेवराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके विधिक वा[illegible] बुद्धाराम, [illegible]म व सरजू देवी का नाम छोड़कर केवल नारायण [illegible] के नाम [illegible] कि विधि विरूद्ध हैं। सभी वारिसान का नाम नियमानुसार दर्ज होना चाहिये। परनतु उक्त अपीलाधीन नामान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

में ऐसी विधि की पालना नहीं हुई हैं जिससे उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी के स्व. बलदेव के विधिक वारिसान का नाम नामान्तरण में विधि अनुसार दर्ज होना चाहिए परन्तु पटवार हल्का व आर.आई. ने गलत जांच करके केवल मात्र नारायण के नाम नामान्तरण किया गया जो कि गलत है। उक्त जांच सही नहीं की गई हैं ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

6. उक्त नामान्तरण में विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना हुई एवं उत्तराधिकारी अधिनियम की पालना भी नहीं की गई हैं उक्त नामान्तरण भरते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई उक्त नामान्तरण बला बाला ही भरा गया है। अभी हाल ही में अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी तब हुई जब उक्त जमीन प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 7 द्वारा बैचाण करने का प्रयास किया गया, तब नकल खतौनी लेने से ज्ञात हुआ है कि नारायणराम ने पटवारी व राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों से मिलकर अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया हैं एवं अपीलान्ट का नाम नामान्तरण में नहीं भरा गया है।

7. अपीलार्थी को नामान्तरण संख्या 487 की नकल हाल ही में दिनो 01.03.2025 को लेने पर प्रथम बार उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलांट को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जिससे उक्त अपील अन्दर मयाद है तथा अपील के साथ धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है।

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलर्थी की अपील स्वीकर फरमायी जाकर अपीलाधीन खेत साबिक खसरा नमबर 629, 629/1 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 860, 861 वाके सरहद गांगवा के सम्बन्ध में दर्ज नामान्तरण संख्या 487 दिनांक 04.01.1983 जरिये स्वीकृत जन सम्पर्क अभियान तहसीलदार परबतसर को अपास्त कर विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

प्रकरण में [illegible] ली गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक 140 दिन[illegible]15.[illegible]025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार परबतस[illegible] अनु[illegible]र्थी नारायणराम के आवेदन पत्र दिनांक 04.01.1983 [illegible] खसरा सं० 629 व 629/1 कुल रकबा 15.10 बीघा के खातेदार छोगा, धन्ना, देवा पि० परमा कौम खाती सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

के खातेदारी भूमि में खसरा सं0 629 रकबा 07.15 बीघा में कदिमी कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दर्ज करने बाबत प्रस्तुत किया गया, जिस पर भू0अ0 निरीक्षक परबतसर की रिपोर्ट व श्री नारायण पुत्र बलदेव व हरकरण पुत्र लादूराम बावरी के हल्पीया बयान के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार परबतसर द्वारा आदेश क्रमांक अभि./82/49 दिनांक 04.01.1983 के क्रमांक 03 अनुसार नारायण पुत्र बलदेव भांबी को खसरा सं0 629 रकबा 07.15 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के संबंधित पटवारी हल्का गांगवा को आदेशित किया गया। जिस पर पटवारी हल्का गांगवा द्वारा नामान्तकरण संख्या 487 दिनांक 04.01.1983 को दर्ज किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत गांगवा द्वारा स्वीकृत किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तसीलदार परबतसर द्वारा नामान्तकरण संख्या 487 दिनांक 04.01.1983 को स्वीकृत करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाकर मात्र भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर भरा गया। जबकि कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण भरने से पूर्व सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई करने के पश्चात भरा जाना चाहिए था।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तसीलदार परबतसर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों की विधि सम्मत सुनवाई कर पुनः निर्णय करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक **16.07.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

16.07.2025

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना-कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:26 IST
Reason: SelfAttested